



UPBB010001972025

न्यायालय- अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०-2, बाराबंकी।

प्रकीर्ण दाण्डिक वाद सं०-18/2025

रूपलाल

बनाम

सरकार उ०प्र०

मुकदमा अपराध संख्या-32/2023

धारा-395, 397, 412 भा०द०सं०,

थाना-रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी

02.07.2026

पत्रावली पेश हुई। बार-बार पुकार पर प्रार्थी रूपलाल न तो स्वयं और न ही उसकी ओर कोई उपस्थित। प्रार्थी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि पत्रावली विगत कई तिथियों से प्रार्थी रूपलाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ-3 पर सुनवाई हेतु नियत चल रही है, परन्तु प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है और आज भी उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, जबकि प्रार्थी को पर्याप्त अन्तिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी को प्रस्तुत प्रकरण में कोई रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी रूपलाल की ओर से समुचित पैरवी न करने के कारण, प्रकीर्ण दाण्डिक वाद सं०-18/2025 अदम पैरवी में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रकीर्ण दाण्डिक वाद सं०-18/2025, रूपलाल बनाम राज्य उ०प्र०, प्रार्थी रूपलाल की ओर से पैरवी न करने के कारण, अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(असद अहमद हाशमी)

अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय सं०-2, बाराबंकी।

J.O. Code UP 6327